कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदीबाजार,जिला–कोरबा (छ.ग.)

NAAC द्वारा बी ग्रेड प्राप्त

Email-gbvphardibazar@gmail.com,Web.-ggbchb.org, विशिष्ट कोड–3109,Contact No. 9406035998

क्रमांक–383 /2023 हरदीबाजार, दिनांक–12/07/2023

–: अतिथि व्याख्याता आमंत्रण सूचना :–

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्र. 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10.07.2023 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार, जिला–कोरबा (छ.ग.) में अध्यापन व्यवस्था के लिए प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध नीचे लिखे विवरण अनुसार अतिथि व्याख्याता हेतु दिनांक 27.07.2023 तक सायं 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं.	विषय	पद विरूद्ध	पदों की संख्या
01.	भौतिकशास्त्र	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	04
02.	रसायनशास्त्र	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	03
03.	भूगर्भशास्त्र	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	05
04.	प्राणीशास्त्र	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	04
05.	वनस्पतिशास्त्र	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	04
06.	गणित	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	03
07.	वाणिज्य	सहायक प्राध्यापक	03
08.	राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01
09.	भूगोल	सहायक प्राध्यापक	01

टीपः–

01. यू.जी.सी. नई दिल्ली/उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताएं मान्य होगी।
02. उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
03. प्रति व्याख्यान रूपये 300/– (तीन सौ रूपये मात्र) जो अधिकतम रू. 1200/– तथा प्रतिमाह रू. 31200/– (अक्षरी–इकतीस हजार दो सौ रू. मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
04. अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानक बर्ताव (Perferential Treatment) के हकदार होंगे।

05. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं वे लोक सेवक की विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नही माने जायेंगे।

06. चयनित उम्मीदवार के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में न हो एवं किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् न हो इस बाबत् शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

07. **नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण तथा शासन की अन्य व्यवस्था के तहत प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति स्वयंमेय निरस्त मानी जावेगी।**

08. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करना अनिवार्य है।

09. राजनीति विज्ञान–01 पद, भूगर्भशास्त्र–01 पद एवं भौतिकशास्त्र–01 पद पर गत वर्ष अतिथि व्याख्याता कार्यरत् थे। यदि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. का स्थगन आदेश प्रस्तुत किया जाता है तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्राचार्य)
शास.ग्राम्य भारतीयमहविद्यालय
हरदीबाजार,जिला–कोरबा (छ.ग.)
शा.ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदी बाजार (छ.ग.)

पृ.क्र. 385 /अति.व्या./2023 हरदीबाजार,दिनांक–12/07/2023

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. अपर संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय विज्ञान अग्रणी महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
04. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ को सूचना पटल पर चस्पा हेतु ईमेल द्वारा सूचनार्थ।
05. महाविद्यालय सूचना पटल पर चस्पा एवं वेवसाईट पर अपलोड हेतु।

(प्राचार्य)
शास.ग्राम्य भारती महविद्यालय
हरदीबाजार,जिला–कोरबा (छ.ग.)
प्राचार्य
शा.ग्राम्य भारती महाविद्यालय
हरदी बाजार (छ.ग.)